न्यायालय माननीय म.प्र. राज़स्व मंडल, ग्वालियर

प्र.क्र. 4270-I/2012 निगरानी

रेस्टो = 9081 - I - 16

रमेशचंद्र मित्तल
पुरानी सब्जी मंडी, श्योपुर

...........आवेदक

विरुद्ध

कल्लू पुत्र श्रीलाल फौत द्वारा वारिसान

रामकन्या आदि ....अनावेदकगण
निवासी - ग्राम - जावदेश्वर, तहसील व जिला श्योपुर

पेशी 1-6-16 को श्री ... द्विवेदी अभि. द्वारा प्रस्तुत
1-6-16

प्रकरण के रेस्टोरेशन हेतु आवेदन

महोदय,

आवेदक का आवेदन सादर निम्न प्रकार प्रस्तुत है ;-

1. यह कि, आवेदक द्वारा यह निगरानी आदेश दिनांक 11.10.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की है |
2. यह कि, दिनांक 21.4.2016 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड हेतु नियत था, उक्त दिनांक को आवेदक अभिभाषक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके जिस कारण से प्रकरण अदम पैरवी में ख़ारिज कर दिया गया |
3. यह कि, दिनांक 21.4.2016 को आवेदक अभिभाषक उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि दिनांक 22.4.2016 को उनके घर में विवाह समारोह था जिसकी तैयारी में व्यस्त होने के कारण वे समय पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके |
4. यह कि, आवेदक अपने प्रकरण को चलाना चाहता है एवं गुण-दोष पर निराकरण कराना चाहता है अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि

Restn. 9081-8/16 २५०५८

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
07-6-16	आवेदक अधि. श्री धर्मेन्द्र त्रिवेदी द्वारा रेस्टोरेशन आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण किये गये। आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण क्र. R. 4270-8/12 में पर्याप्त आधार होने से पुनर्स्थापित किया जाता है। रेस्टोरेशन आवेदन पत्र समाप्त किया जाता है। कॉस्ट राशि 500/- जमा की गई। सदस्य	